

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड  
राजस्व विभाग

**अधिसूचना**  
**सं. 90/2020-सीमा शुल्क (गै.टै.)**

नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2020

सा. का. नि. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के साथ पठित धारा 46 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, एतद्वारा, आगम बिल (फॉर्म्स) विनियम, 1976 में आगे और भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा: -

- (1) इन विनियमों को आगम बिल (फॉर्म्स) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जाएगा।  
(2) ये नियम 21 सितंबर, 2020 से लागू होंगे।
- आगम बिल (फॉर्म्स) विनियम, 1976 में, फॉर्म I, फॉर्म II, और फॉर्म III के लिए, निम्नलिखित फॉर्म्स को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“फॉर्म-I  
(विनियम 3 देखें)

घरेलू उपभोग के लिए आगम बिल

लाइसेंस नं.

पोर्ट कोड	एस = सी ए= एयर एल = लैंड	पूर्व आगम मोहर	आयात विभाग की क्र.सं. एवं तिथि	कस्टम्स हाउस एजेंट कोड	आयातकर्ता कोड (आईईसी/ जीएसटीआईएन/पीएएन आदि जो लागू हो)	आयातकर्ता का नाम एवं पता
-----------	--------------------------------	----------------	--------------------------------	---------------------------	--	-----------------------------

जलयान का नाम			आवर्तन सं. दिनांक			लाइन सं.		नौवहन का पोर्ट		उदगम देश एवं कोड		प्रेषण का देश (यदि भिन्न हो) एवं कोड			लदान बिल दिनांक								
पैकेट		माल		मात्रा		सीमाशुल्क			अतिरिक्त शुल्क				आईजीएसटी										
सं. एवं विवरण	चिन्ह एवं संख्याएँ	क्र. सं.	कम शिथिल यूनित कोड/स्टैंडर्ड यूनित कोड	भार/आयतन/संख्या आदि	विवरण ----- आरआई टीसी नं. (प्रत्येक वर्ग का प्रथक रूप से विवरण दें)	सीमाशुल्क टैरिफ का शीर्षक वरीयता परक छूट अधिसूचना/छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	शुल्क कोड की प्रकृति	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के धारा 14 के तहत निर्धारणीय मूल्य (रु)	दर मूल	राशि मूल	सीईटी शीर्षक	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 तहत मूल्य (रु)	दर	एस एडी	कुल अतिरिक्त शुल्क	जीएसटी कोड	आई जीएस टी दर	आईजी एसटी से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	आई जीएस टी राशि (रु)	उपकर की दर पर जीएस टी प्रतिपूर्ति राशि	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि	कुल शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

सकल भार कुल पैकेटों की संख्या (शब्दों में)..... शुल्क की कुल राशि (शब्दों में)  
..... आयात क्लर्क रुपए..... कुल .....  
(पिन पॉइंट टाइपरायटर के द्वारा)

क्र.सं.	बीजक मूल्य (विदेशी मुद्रा) (एफओबी/सी&एफ/सी&आई/सीआईएफ)	भाड़ा	बीमा	मुद्रा कोड	विनिमय सीमा	लदान/स्थानीय एजेंसी कमीशन	विविध प्रभार	कुल मूल्य (रुपये में)	लदान प्रभार	निर्धारणीय मूल्य (रुपये में)	(घोषणा पर कस्टम ब्रोकर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ) 1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं.... दिनांक... के तहत आयात
---------	--	-------	------	------------	-------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------	------------------------------	---

			किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं..... दिनांक .... एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है।
1			
2			
3			2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज़ या सूचना प्राप्त नहीं हुई है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य, मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज़ प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को देंगे।
4			
5			
कुल	आईटीसी लाइसेंस या सीसीपी नं. एवं दिनांक/पार्ट एवं क्र. सं./ओजीएल नं. छूट नं. एवं लाइसेंस को डेबिट किया गया मूल्य/सीसीपी (अधिकरण पत्र के मामले में, व्यक्ति का नाम जिसको जारी किया गया, सं. एवं दिनांक)	डैबिट पी.डी. खाता सं. कलेक्शन फ्री नं. एवं दिनांक की मोहर	
			ध्यान दें- जहां इस फॉर्म में कस्टम ब्रोकर द्वारा घोषणा की जाती है तो माल के आयातकर्ता द्वारा निर्धारित फॉर्म में आगम बिल सहित घोषणा दी जाएगी
	लाइसेंस(सों) पंजीकृत	लाइसेंस(सों) लेखापरीक्षा .....20..... किया हुआ	कस्टम ब्रोकर के हस्ताक्षर

**घोषणा**

(आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)

कस्टम्स ब्रोकर\*  
सहित

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मैं. ....के बीजक सं.... दिनांक..... एवं इस बीजक द्वारा आवरित माल से संबन्धित अन्य दस्तावेजों की विषय-वस्तु जो एतद द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

या

कस्टम्स ब्रोकर \*  
के बिना

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं.... दिनांक... के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं..... दिनांक .... एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है। मैं/हम यह घोषणा भी करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक्त बीजक एवं दस्तावेजों की विषय-वस्तु प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज़ या सूचना प्राप्त नहीं हुई है और हमें इसकी जानकारी नहीं है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य (स्थानीय भुगतान, कमीशन या अन्य किसी रूप में), मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज़ प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को देंगे।

3. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आगम बिल द्वारा आवरित माल प्रत्यक्ष क्रय/प्रेषण खाता पर आयात किया गया है।

- 4(क)\*. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को नहीं लगाया गया है। [कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]

या

- 4(ख)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को लगाया गया है जिसका ब्योरा नीचे दिया जगया है [कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- 5(क)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य किसी निश्चित अवधि के समाप्ती समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ किए जाने वाले किए समायोजन के अधीन नहीं है। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

या

5(ख) \* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य का एक निश्चित अवधि के समाप्ती समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ समायोजन किया जाएगा। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

[जहां कि शुल्क को किसी विशेष दर या टैरिफ मूल्य पर लगाया जाता है वहाँ ऐसे मामलो में क्रम संख्या 4क और 4ख में कि जाने वाली घोषणा की आवश्यकता नहीं है]

6(क)\*. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया है उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और ना ही किया जाना है ^  
या

6(ख)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया है उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा निम्नलिखित भुगतान बाकी है ^  
[^ कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007के नियम 10 (1) (क) और (ख)]

क्रम संख्या	ब्योरा	राशि या अभिव्यक्ति, इकाई मूल्य के प्रतिशत के रूप में
i	ब्रोकरेज और कमिशन, खरीदे जाने वाले कमिशन को छोड़कर [सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 का नियम 10 (1) (क) (i)]:	
ii	कंटेनर का खर्च [नियम 10 (1) (क) (ii)]:	
iii	पैकिंग खर्च: [नियम 10 (1) (क) (iii)]:	
iv	क्रेता द्वारा सप्लाई किए गए माल और सेवा का खर्च [नियम 10 (1) (ख)]:	

7(क)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुनः बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और ना ही किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007के नियम 10 (1) (ग), (घ) & (ड)]  
या

7(ख)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुनः बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में या तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम **10 (1) (ग), (घ) & (ड)**] । हम और आगे भी घोषणा करते हैं कि:

(i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है  
या

(ii) हमारे आयात की अभी \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है

(iii) हमारे आयात की \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर \_\_\_\_\_ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

या  
(iv) हमारे आयात की \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर \_\_\_\_\_ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तों और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में \_\_\_\_\_ से बदलाव किया गया है।

8(क)\* मैं/ हम, मेरा/ हमारा सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से इन्वाइस संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ में संदर्भित माल के क्रेता से कोई संबंध नहीं है

या

8(ख)\* मैं/ हम, मेरा/ हमारा इन्वाइस संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ में संदर्भित माल के क्रेता से संबन्धित हूँ/ हैं और हमारा संबंध सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से \_\_\_\_\_ की प्रकृति का है। हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि:

(i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है

या

(ii) हमारे आयात की अभी \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है

(iii) हमारे आयात की \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर \_\_\_\_\_ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

या

(iv) हमारे आयात की \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर \_\_\_\_\_ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तों और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में \_\_\_\_\_ से बदलाव किया गया है।

9(क)# मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि निम्नलिखित ब्योरे उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या \_\_\_\_\_ में उल्लिखित माल के संबंध में हुए व्यापार करार के अंतर्गत शुल्क की वरीयतापरक दर से संबन्धित है।

[कृपया देखें- सीमाशुल्क व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 का नियम 3(1)]

क्रम. संख्या	ब्योरा	विवरण
(i)	संधि/ मुफ्त व्यापार करार	
(ii)	सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की संदर्भ संख्या, इसके जारी होने की तारीख सहित (सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन में प्रत्येक मद जिस पर शुल्क की वरीयतापरक दर का दावा किया गया है का उल्लेख होना चाहिए)	
(iii)	मूलता उत्पादन के मानदंड [या (क) पूरी तरह पालन किया है या (ख) पूरी तरह पालन नहीं किया गया है]	
	यदि पूरी तरह पालन नहीं किया गया है तो कृपया बताएं कि इस पर सामान्य नियम लागू होता है या यह उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) है	
	उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) को स्पष्ट करें, यदि लागू हो है	
(iv)	कृपया बताएं कि क्या संग्रहण/ संचेयन कि बात लागू होती है (हाँ/ ना)	
(v)	कृपया बताएं कि क्या सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन किसी तीसरे देश द्वारा जारी किया गया है (आगे/ पीछे) –हाँ/ ना	
	यदि हाँ, तो जारी करने वाले प्राधिकारी का देश ( जो कि मूलता उत्पादन वाले देश से भिन्न होगा)	
(vi)	माल का परिवहन: (मूलता उत्पादन वाले देश से सीधे/ अन्य देश से होते हुए)	

9(ख)# घोषणा (आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)

“मैं, अधो हस्ताक्षर कर्ता, घोषणा करता हूँ कि इस बिल ऑफ एंट्री के क्रम संख्या \_\_\_\_ में उल्लिखित माल अधिसूचना नंबर \_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_ के माध्यम से अधिसूचित (नियमावली का नाम) के अंतर्गत शुल्क कि वरीयतापरक दर हेतु मूलता उत्पादन के माल से संबन्धित सभी अर्हता पूरा करता है। .”

आयातकर्ता के हस्ताक्षर.....

आयातकर्ता का नाम .....

पदनाम.....

स्टैम्प.....

\*जो लागू ना हो उसे काट दे  
# क्या मूलता उत्पादन पर वरीयतापरक शुल्क वैध है

(कस्टम हाउस के प्रयोग के लिए)

आगम बिल के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़		में प्राप्ति की तिथि:
अतिरिक्त दस्तावेजों के आवश्यकता यह जांच ली जाए		
1. बीजक.....		मूल्यनिरूपक ग्रुप केन्द्रीय विनिमय यूनिट
2. पैकिंग सूची.....		ट्रेड रिटर्न आई.ए.डी.
3. बैंक ड्राफ्ट.....		सी.आर.ए.डी.एम.सी.डी. की रजिस्टर
4. बीमा ज्ञापन/पॉलिसी.....		एम.सी.डी. मैनिफेस्ट पोस्टिंग
5. लदान बिल.....		(केवल प्रतिलिपि पर)
6. आयात लाइसेंस/सीमाशुल्क निकासी परमिट.....		सीमाशुल्क प्रभार से पास हुआ
7. उदगम प्रमाण पत्र.....		
8. ....		संगत अधिकारी
9. ....		
10. ....		(वास्तविक पदनाम अंकित करें)

फॉर्म-II  
(विनियम 3 देखें)

वेयरहाउसिंग के लिए आगम बिल

लाइसेंस नं. .

पोर्ट कोड	एस = सी ए= एयर एल = लैंड	बॉन्ड क्रम संख्या और दिनांक	आयात विभाग की क्र.सं. एवं तिथि	कस्टम्स हाउस	आयातकर्ता एजेंट कोड	आयातकर्ता का नाम कोड (आईईसी/ जीएसटीआईएन/पीएएन आदि जो लागू हो)	आयातकर्ता का नाम एवं पता
जलयान का नाम	आवर्तन सं. दिनांक	लाइन सं.	नौवहन का पोर्ट	उदगम देश एवं कोड	प्रेषण का देश (यदि भिन्न हो) एवं कोड	लदान बिल दिनांक	
पैकेट माल	मात्रा	सीमाशुल्क	अतिरिक्त शुल्क	आईजीएसटी			



सं. एवं विवरण	चिन्ह एवं संख्याएँ	क्र. सं.	कम शिथिल यूनिट कोड/स्टैंडर्ड यूनिट कोडे	भार/आयतन/संख्या आदि	विवरण ----- -- आरआई टीसी नं. (प्रत्येक वर्ग का प्रथक रूप से विवरण दें)	सीमाशुल्क टैरिफ का शीर्षक वरीयता परक छूट अधिसूचना/ छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	शुल्क कोड की प्रकृति	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के धारा 14 के तहत निर्धारणीय मूल्य (रु)	दर मूल	राशि मूल	सीईटी शीर्षक	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 तहत मूल्य (रु)	दर	एस एडी	कुल अतिरिक्त शुल्क	जीएसटी कोड	आई जीएस टी दर	आईजीएसटी से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	आई जीएस टी राशि (रु)	उपकर की दर पर जीएसटी प्रतिपूति राशि	जीएसटी प्रतिपूति उपकर से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	जीएसटी प्रतिपूति राशि	कुल शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

सकल भार कुल पैकेटों की संख्या (शब्दों में)..... शुल्क की कुल राशि (शब्दों में)  
..... आयात क्लर्क रुपए..... कुल .....  
(पिन पॉइंट टाइपरायटर के द्वारा)

क्र.सं.	बीजक मूल्य (विदेशी मुद्रा) (एफओबी/सी&एफ/सी&आई /सीआईएफ)	भाड़ा	बीमा	मुद्रा कोड	विनिमय सीमा	लदान/स्थानीय एजेंसी कमीशन	विविध प्रभार	कुल मूल्य (रुपये में)	लदान प्रभार	निर्धारणीय मूल्य (रुपये में)	(घोषणा पर कस्टम ब्रोकर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ) 1. मैं/हम..... वेयरहाउस, जो कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत नियुक्त/ लाइसेन्स प्राप्त सार्वजनिक/ निजी वेयरहाउस है में इस
---------	--	-------	------	---------------	----------------	---------------------------------	-----------------	--------------------------------	----------------	------------------------------------	---

आगम बिल मे उल्लिखित माल को जमा करने हेतु अनुमति के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं।

1	
2	
3	
4	
5	

2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं.... दिनांक... के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं..... दिनांक .... एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है।

कुल

टीसी लाइसेन्स या सीसीपी नंबर और दिनांक/ पार्ट और क्रम संख्या/ ओजीएल नंबर छूट नंबर और लाइसेन्स / सीसीपी को डेबिटेड वैल्यू (लेटर ऑफ अथॉरिटी के मामले में, जिसको दिया गया उसका नाम, नंबर और दिनांक)

डॉक से वास्तविक रूप से हटाये जाने कि प्रक्रिया शुरू होने के \_\_\_ दिनों के भीतर वेयरहाउस में जमा किया जाना है

बॉन्ड नंबर---- के अंतर्गत..... को (दिनांक) रैजिस्टर्ड अधीक्षक बॉन्ड ----- बॉन्ड क्लर्क

3. मुझे/ हमे ऐसा कोई अन्य कागजात या सूचना प्राप्त नहीं हुआ/ हुई है जिसमे उक्त माल का अलग कीमत, मूल्य, मात्रा या विवरण दर्शाया गया हो और यदि इसके पश्चात मुझे/ हमे आयातकर्ता से ऐसा कोई कागजात प्राप्त होता है जिसमे अलग तथ्य दिये गए हो, तो मैं/ हम तत्काल प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो को इस तथ्य से अवगत कराऊंगा/ कराएंगे।

ध्यान दें- जहां इस फॉर्म में कस्टम ब्रोकर द्वारा घोषणा की जाती है तो माल के आयातकर्ता द्वारा निर्धारित फॉर्म में आगम बिल सहित घोषणा दी जाएगी

लाइसेन्स रैजिस्टर्ड

लाइसेन्स औडिटेड

वेयरहाउस में माल को जमा कराने की तारीख

सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, बॉन्ड डिपार्टमेंट

निवारक अधिकारी

.....20..... कस्टम ब्रोकर के हस्ताक्षर

## घोषणा

(आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)

कस्टम्स हाउस\*  
एजेंट सहित

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मै. ....के बीजक सं.... दिनांक..... एवं इस बीजक द्वारा आवरित माल से संबन्धित अन्य दस्तावेजों की विषय-वस्तु जो एतद द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।  
या

कस्टम्स हाउस\*  
एजेंट के बिना

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं.... दिनांक... के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं..... दिनांक .... एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है। मैं/हम यह घोषणा भी करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक्त बीजक एवं दस्तावेजों की विषय-वस्तु प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज़ या सूचना प्राप्त नहीं हुई है और हमें इसकी जानकारी नहीं है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य (स्थानीय भुगतान, कमीशन या अन्य किसी रूप में), मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज़ प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को देंगे।

3. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आगम बिल द्वारा आवरित माल प्रत्यक्ष क्रय/प्रेषण खाता पर आयात किया गया है।

4(क)\*. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को नहीं लगाया गया है। [कृपया देखें- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]

या

4(ख)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को लगाया गया है जिसका ब्योरा नीचे दिया जगया है [कृपया देखें- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]:

5(क)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य किसी निश्चित अवधि के समाप्ती समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ किए जाने वाले किए समायोजन के अधीन नहीं है। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

या

5(ख)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य का एक निश्चित अवधि के समाप्ती समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ समायोजन किया जाएगा। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

[जहां कि शुल्क को किसी विशेष दर या टैरिफ मूल्य पर लगाया जाता है वहाँ ऐसे मामलो में क्रम संख्या 4क और 4ख में कि जाने वाली घोषणा की आवश्यकता नहीं है]

6(क)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया है उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और ना ही किया जाना है ^

6(ख)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया है उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा निम्नलिखित भुगतान बाकी है ^

[^ कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007के नियम 10 (1) (क) और (ख)]

क्रम संख्या	ब्योरा	राशि या अभिव्यक्ति, इकाई मूल्य के प्रतिशत के रूप में
i	ब्रोकरेज और कमिशन, खरीदे जाने वाले कमिशन को छोड़कर [सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 का नियम 10 (1) (क) (i)]:	
ii	कंटेनर का खर्च [नियम 10 (1) (क) (ii)]:	
iii	पैकिंग खर्च: [नियम 10 (1) (क) (iii)]:	
iv	क्रेता द्वारा सप्लाई किए गए माल और सेवा का खर्च [नियम 10 (1) (ख)]:	

7(क)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुनः बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और ना ही किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007के नियम 10 (1) (ग), (घ) & (ड)]

या

7(ख)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुनः बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में या तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 10 (1) (ग), (घ) & (ड)] । हम और आगे भी घोषणा करते हैं कि:

(i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है

या

(ii) हमारे आयात की अभी \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है

(iii) हमारे आयात की \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर \_\_\_\_\_ देखें). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

या

(iv) हमारे आयात की \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर \_\_\_\_\_ देखें). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तों और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में \_\_\_\_\_ से बदलाव किया गया है।

8(क)\* मैं/ हम, मेरा/ हमारा सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से इन्वाइस संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ में संदर्भित माल के क्रेता से कोई संबंध नहीं है

या

8(ख)\* मैं/ हम, मेरा/ हमारा इन्वाइस संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ में संदर्भित माल के क्रेता से संबंधित हूँ/ हैं और हमारा संबंध सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से \_\_\_\_\_ की प्रकृति का है। हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि:

(i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है

या

(ii) हमारे आयात की अभी \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है

(iii) हमारे आयात की \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर \_\_\_\_\_ देखें). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

या

(iv) हमारे आयात की \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर \_\_\_\_\_ देखें). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तों और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में \_\_\_\_\_ से बदलाव किया गया है।

9(क)# मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि निम्नलिखित ब्योरे उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या \_\_\_\_\_ में उल्लिखित माल के संबंध में हुए व्यापार करार के अंतर्गत शुल्क की वरीयतापरक दर से संबन्धित है।  
[कृपया देखे- सीमाशुल्क व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 का नियम 3(1)]

क्रम. संख्या	ब्योरा	विवरण
(i)	संधि/ मुफ्त व्यापार करार	
(ii)	सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की संदर्भ संख्या, इसके जारी होने की तारीख सहित (सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन में प्रत्येक मद जिस पर शुल्क की वरीयतापरक दर का दावा किया गया है का उल्लेख होना चाहिए)	
(iii)	मूलता उत्पादन के मानदंड [या (क) पूरी तरह पालन किया है या (ख) पूरी तरह पालन नहीं किया गया है]	
	यदि पूरी तरह पालन नहीं किया गया है तो कृपया बताएं कि इस पर सामान्य नियम लागू होता है या यह उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) है	
	उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) को स्पष्ट करें, यदि लागू हो है	
(iv)	कृपया बताएं कि क्या संग्रहण/ संचेयन कि बात लागू होती है (हाँ/ ना)	
(v)	कृपया बताएं कि क्या सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन किसी तीसरे देश द्वारा जारी किया गया है (आगे/ पीछे) –हाँ/ ना	
	यदि हाँ, तो जारी करने वाले प्राधिकारी का देश ( जो कि मूलता उत्पादन वाले देश से भिन्न होगा)	
(vi)	माल का परिवहन: (मूलता उत्पादन वाले देश से सीधे/ अन्य देश से होते हुए)	

9(ख)# घोषणा (आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)

“मैं, अधो हस्ताक्षरकर्ता, घोषणा करता हूँ कि इस बिल ऑफ एंट्री के क्रम संख्या \_\_\_\_\_ में उल्लिखित माल अधिसूचना नंबर \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के माध्यम से अधिसूचित (नियमावली का नाम) के अंतर्गत शुल्क की वरीयतापरक दर हेतु मूलता उत्पादन के माल से संबन्धित सभी अर्हता पूरा करता है।”

आयातकर्ता के हस्ताक्षर.....

आयातकर्ता का नाम .....

पदनाम.....

स्टैम्प.....

\*जो लागू ना हो उसे काट दे  
# क्या मूलता उत्पादन पर वरीयतापरक शुल्क वैध है

(कस्टम हाउस के प्रयोग के लिए)

आगम बिल के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़

में प्राप्ति की तिथि:

अतिरिक्त दस्तावेजों के आवश्यकता यह जांच ली जाए	
1. बीजक .....	मूल्यनिरूपक ग्रुप केन्द्रीय विनिमय यूनिट
2. पैकिंग सूची .....	ट्रेड रिटर्न आई.ए.डी.
3. बैंक ड्राफ्ट .....	सी.आर.ए.डी.एम.सी.डी. की रजिस्टर
4. बीमा ज्ञापन/पॉलिसी	एम.सी.डी. मैनिफेस्ट पोस्टिंग
5. लदान बिल .....	(केवल प्रतिलिपि पर)
6. आयात लाइसेंस/सीमाशुल्क निकासी परमिट.....	सीमाशुल्क के नियंत्रण के अंतर्गत बॉडेड वेयरहाउस में ले जाने के लिए माल को उठाने हेतु अनुमत सील डिटेल्स (ओटीएल डिटेल्स)
7. उदगम प्रमाण पत्र .....	
8. ....	संगत अधिकारी
9. ....	
10. ....	(वास्तविक पदनाम अंकित करें)

फॉर्म-III  
(विनियम 3 देखें)

एक्स- बॉन्ड क्लियरेंस के लिए आगम बिल

लाइसेंस नं.

पोर्ट कोड	एस = सी ए= एयर एल = लैंड	बॉन्ड क्रम संख्या और दिनांक	आयात विभाग की क्र.सं. एवं तिथि	कस्टम्स हाउस एजेंट कोड	आयातकर्ता कोड (आईईसी/ जीएसटीआईएन/पीएन आदि जो लागू हो)	आयातकर्ता का नाम एवं पता
-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	-----------------------------

जलयान का नाम			आवर्तन सं. दिनांक			लाइन सं.		नौवहन का पोर्ट		उदगम देश एवं कोड		प्रेषण का देश (यदि भिन्न हो) एवं कोड			लदान बिल दिनांक								
पैकेट माल			मात्रा			सीमाशुल्क			अतिरिक्त शुल्क			आईजीएसटी											
सं. एवं विवरण	चिन्ह एवं संख्याएँ	क्र. सं.	कम शिथिल यूनित कोड/स्टैंडर्ड यूनित कोड	भार/आयतन/संख्या आदि	विवरण ----- आरआई टीसी नं. (प्रत्येक वर्ग का प्रथक रूप से विवरण दें)	सीमाशुल्क टैरिफ का शीर्षक वरीयता परक छूट अधिसूचना/ छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	शुल्क कोड की प्रकृति	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के धारा 14 के तहत निर्धारणीय मूल्य (रु)	दर मूल	राशि सहायक (रु)	सीईटी शीर्षक छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 तहत मूल्य (रु)	दर	एस एडी	कुल अतिरिक्त शुल्क	जीएसटी कोड	आई जीएस टी दर	आईजी एसटी से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	आई जीएस टी राशि (रु)	उपकर की दर पर जीएस टी प्रतिपूर्ति राशि	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि	कुल शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

सकल भार कुल पैकेटों की संख्या (शब्दों में)..... शुल्क की कुल राशि (शब्दों में)  
..... आयात क्लर्क रुपए..... कुल .....  
(पिन पॉइंट टाइपरायटर के द्वारा)

क्र.सं.	बीजक मूल्य (विदेशी मुद्रा) (एफओबी/सी&एफ/सी&आई/सीआईएफ)	भाड़ा	बीमा	मुद्रा कोड	विनिमय सीमा	लदान/स्थानीय एजेंसी कमीशन	विविध प्रभार	कुल मूल्य (रुपये)	लदान प्रभार	निर्धारणीय मूल्य (रुपये में)	वेयरहाउस का नाम और पता, जिसमें उस वेयरहाउस का कोड भी शामिल है जहां माल को जमा किया जाता हो
---------	--	-------	------	------------	-------------	---------------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------------	--



में)

1  
2  
3  
4  
5

कुल

वेयरहाउस में जमा की तारीख

वेयरहाउस रजिस्टर में दाखिल ....  
पेज नंबर.....के तहत  
आइटम नंबर .....

वेयरहाउस अधिकारी

डेबिट पीडी/ अकाउंट  
नंबर

कलेक्शन की स्टैम्प

आयातकर्ता/ कस्टम्स ब्रोकर के द्वारा की जाने  
वाली घोषणा

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि इस  
आगम बिल में दिये गए ब्योरे सही है।

वेयरहाउस अधिकारी को दिखाने की तारीख

वेयरहाउस से माल को निकालने की तारीख

2. मैं/हम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के  
प्रावधानों के अधीन रहते हुए कस्टम्स बॉर्डेड  
हाउस से माल को छुड़ाने के लिए अनुमति हेतु  
आवेदन कर्ता हूँ/ करते हैं।

### घोषणा

(आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)

कस्टम्स हाउस\* एजेंट सहित 1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मै. ....के बीजक सं.... दिनांक..... एवं इस बीजक द्वारा आवरित माल से संबन्धित अन्य दस्तावेजों की विषय-वस्तु जो एतद द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

या

कस्टम्स हाउस\* एजेंट के बिना मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं.... दिनांक... के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं..... दिनांक .... एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है। मैं/हम यह घोषणा भी करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक्त बीजक एवं दस्तावेजों की विषय-वस्तु प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज़ या सूचना प्राप्त नहीं हुई है और हमें इसकी जानकारी नहीं है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य (स्थानीय भुगतान, कमीशन या अन्य किसी रूप में), मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज़ प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को देंगे।

3. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आगम बिल द्वारा आवरित माल प्रत्यक्ष क्रय/प्रेषण खाता पर आयात किया गया है।

4(क)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को नहीं लगाया गया है। [कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]

या

4(ख)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को लगाया गया है जिसका ब्योरा नीचे दिया जगया है [कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]:

\_\_\_\_\_

5(क)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य किसी निश्चित अवधि के समाप्ती समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ किए जाने वाले किए समायोजन के अधीन नहीं है। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

या

5(ख) \* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य का एक निश्चित अवधि के समाप्ती समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ समायोजन किया जाएगा। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

[जहां कि शुल्क को किसी विशेष दर या टैरिफ मूल्य पर लगाया जाता है वहाँ ऐसे मामलो में क्रम संख्या 4क और 4ख में कि जाने वाली घोषणा की आवश्यकता नहीं है]

6(क)\*. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया है उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और ना ही किया जाना है ^  
या

6(ख)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया है उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा निम्नलिखित भुगतान बाकी है ^  
[^ कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007के नियम 10 (1) (क) और (ख)]

क्रम संख्या	ब्योरा	राशि या अभिव्यक्ति, इकाई मूल्य के प्रतिशत के रूप में
i	ब्रोकरेज और कमिशन, खरीदे जाने वाले कमिशन को छोड़कर [सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 का नियम 10 (1) (क) (i)]:	
ii	कंटेनर का खर्च [नियम 10 (1) (क) (ii)]:	
iii	पैकिंग खर्च: [नियम 10 (1) (क) (iii)]:	
iv	क्रेता द्वारा सप्लाई किए गए माल और सेवा का खर्च [नियम 10 (1) (ख)]:	

7(क)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुनः बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और ना ही किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007के नियम 10 (1) (ग), (घ) & (ड)]  
या

7(ख)\* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुनः बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में या तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम **10 (1) (ग), (घ) & (ड)**] । हम और आगे भी घोषणा करते हैं कि:

(i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है  
या

(ii) हमारे आयात की अभी \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है

(iii) हमारे आयात की \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर \_\_\_\_\_ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

या  
(iv) हमारे आयात की \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर \_\_\_\_\_ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तों और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में \_\_\_\_\_ से बदलाव किया गया है।

8(क)\* मैं/ हम, मेरा/ हमारा सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से इन्वाइस संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ में संदर्भित माल के क्रेता से कोई संबंध नहीं है

या

8(ख)\* मैं/ हम, मेरा/ हमारा इन्वाइस संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ में संदर्भित माल के क्रेता से संबन्धित हूँ/ हैं और हमारा संबंध सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से \_\_\_\_\_ की प्रकृति का है। हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि:

(i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है

या

(ii) हमारे आयात की अभी \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है

(iii) हमारे आयात की \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर \_\_\_\_\_ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

या

(iv) हमारे आयात की \_\_\_\_\_ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर \_\_\_\_\_ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तों और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में \_\_\_\_\_ से बदलाव किया गया है।

9(क)# मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि निम्नलिखित ब्योरे उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या \_\_\_\_\_ में उल्लिखित माल के संबंध में हुए व्यापार करार के अंतर्गत शुल्क की वरीयतापरक दर से संबन्धित है।

[कृपया देखें- सीमाशुल्क व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 का नियम 3(1)]

क्रम. संख्या	ब्योरा	विवरण
(i)	संधि/ मुफ्त व्यापार करार	
(ii)	सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की संदर्भ संख्या, इसके जारी होने की तारीख सहित (सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन में प्रत्येक मद जिस पर शुल्क की वरीयतापरक दर का दावा किया गया है का उल्लेख होना चाहिए)	
(iii)	मूलता उत्पादन के मानदंड [या (क) पूरी तरह पालन किया है या (ख) पूरी तरह पालन नहीं किया गया है]	
	यदि पूरी तरह पालन नहीं किया गया है तो कृपया बताएं कि इस पर सामान्य नियम लागू होता है या यह उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) है	
	उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) को स्पष्ट करें, यदि लागू हो है	
(iv)	कृपया बताएं कि क्या संग्रहण/ संचेयन कि बात लागू होती है (हाँ/ ना)	
(v)	कृपया बताएं कि क्या सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन किसी तीसरे देश द्वारा जारी किया गया है (आगे/ पीछे) –हाँ/ ना	
	यदि हाँ, तो जारी करने वाले प्राधिकारी का देश ( जो कि मूलता उत्पादन वाले देश से भिन्न होगा)	
(vi)	माल का परिवहन: (मूलता उत्पादन वाले देश से सीधे/ अन्य देश से होते हुए)	

9(ख)# घोषणा (आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)

“मैं, अधो हस्ताक्षरकर्ता, घोषणा करता हूँ कि इस बिल ऑफ एंट्री के क्रम संख्या \_\_\_\_\_ में उल्लिखित माल अधिसूचना नंबर \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के माध्यम से अधिसूचित (नियमावली का नाम) के अंतर्गत शुल्क कि वरीयतापरक दर हेतु मूलता उत्पादन के माल से संबन्धित सभी अर्हता पूरा करता है। .”

आयातकर्ता के हस्ताक्षर.....

आयातकर्ता का नाम .....

पदनाम.....

स्टैम्प.....

\*जो लागू ना हो उसे काट दे  
# क्या मूलता उत्पादन पर वरीयतापरक शुल्क वैध है

(कस्टम हाउस के प्रयोग के लिए)

आगम बिल के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़	में प्राप्ति की तिथि:
अतिरिक्त दस्तावेजों के आवश्यकता यह जांच ली जाए	
1. बीजक.....	बॉन्ड डिपार्टमेंट
2. पैकिंग सूची.....	अपराइजिंग ग्रुप
3. बीमा ज्ञापन/पॉलिसी.....	वेयरहाउस अधिकारी सेंट्रल एक्स्चेंज यूनिट
4. उदगम प्रमाण पत्र	रेविन्यू पोस्टिंग
5. ....	स्टेशन दिनांक.....20.. आयातकर्ता के हस्ताक्षर कस्टम ब्रोकर
6. ....	सी.आर.ए.डी (केवल प्रतिलिपि पर)
7. ....	एम.सी.डी. की रजिस्टर सीमाशुल्क प्रभार से पास हुआ
.....	एम.सी.डी. मैनिफेस्ट
.....	पोस्टिंग
.....	संगत अधिकारी
.....	(वास्तविक पदनाम इंगित करें)

[फा. स. 450/108/2017- सीमाशुल्क IV]

आ. आनंद

(आनंद राधाकृष्णन)  
उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान नियमावली को अधिसूचना संख्या 396- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 1 अगस्त, 1976 के तहत प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या 03/88- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 14 जनवरी, 1998, जिसे सा.का.नि 30 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, दिनांक 31 मार्च, 2017, के तहत प्रकाशित, के द्वारा इसका अधिक्रमण कर दिया गया था, और फिर उसके पश्चात अधिसूचना संख्या 77/89- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 27 दिसम्बर, 1988, जिसे सा.का.नि 1067 (अ) दिनांक 27 दिसम्बर, 1989 के द्वारा बहाल कर दिया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 65/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि 810 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।